



प्रेस नोट

दिनांक 05.05.2025

थाना मुस्करा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.05.2025 को थाना मुस्करा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त आर्यन पुत्र रामनारायण उर्फ मुंशी राजपूत को गहरौली खरेला मार्ग ग्राम गहरौली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 78/2025 धारा 9(1)A(1)/25(2) आयुध अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

आर्यन पुत्र रामनारायण उर्फ मुंशी राजपूत (उम्र करीब 19 वर्ष) निवासी ग्राम कुड़ार थाना खरेला जनपद महोबा।
बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 78/2025 धारा 9(1)A(1)/25(2) आयुध अधिनियम थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 289/2024 धारा 303(2)/317(2) थाना पनवाडी जनपद महोबा
3. मु0अ0सं0 4/2024 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना खरेला जनपद महोबा
4. मु0अ0सं0 290/24 धारा 3/25 थाना पनवाडी जनपद महोबा
5. मु0अ0सं0 65/23 धारा 8/20 NDPS ACT थाना खरेला जनपद महोबा
6. मु0अ0सं0 55/23 धारा 41/380/411/457/465/468/471 IPC थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि राजीव कुमार साहू
2. का0 विपिन कुमार

